गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

## स्थायी कारा आदेश सं०–03/2016

W.P (S) No. 7958/2012 नारायण साव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–23.06.2016 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची ने अपने न्यायादेश में यह उल्लेख करते हुए "The case was filed in the year 2012, but till date no counter affidavit has been filed by the state" आदेश पारित किया है। अतः स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं होने के कारण सरकार द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जा सका।

W.P (S) No. 7958/2012 नारायण साव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वर्ष 2012 में दायर की गई थी किन्तु 04 (चार) वर्ष के पश्चात भी प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जाना एक गंभीर विषय है। यह कारा निरीक्षणालय के सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं केन्द्रीय काराधीक्षक, हजारीबाग के कार्य के प्रति उदासीनता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में सभी कारा निरीक्षणालय के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के सभी काराधीक्षक/प्राचार्य, कारा प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी/प्रोबेशन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी रिट याचिका दायर होती है तो व्यक्तिगत रूचि लेकर अविलम्ब रिट की Copy प्राप्त कर तथ्यात्मक विवरणी तैयार कर अनुमोदन के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेंगे। यदि तथ्य विवरणी के अनुमोदन में विलम्ब हो रहा हो तो संचिका की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त कर स्मार देकर एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर संबंधित Respondents से तथ्य विवरणी अनुमोदन करवा कर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेंगे। यदि ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं होता है और बिना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित होता है तो संबंधित पदाधिकारी जिनके लापरवाही/उदासीनता के कारण शपथ पत्र दाखिल न किया जा सका हो, जिसके कारण विभाग को प्रतिकूल टिप्पणी का सामना करना पड़ा है। उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

12/08/16.

(सुमन गुप्ता)
कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सभी केन्द्रीय कारा / मंडल कारा एवं उपकारा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित। एक प्रति स्थाई आदेश पंजी में संधारित कर अनुपालन से अवगत करायेंगे।

12/08/16

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–1 / कोर्ट –09 / 2013......2512....../जेल, राँची, दिनांक–...12...अगस्त, 2016

प्रतिलिपि– सभी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी / प्रोबेशन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित।

12/08/16

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–1 / कोर्ट –09 / 2013......2512....../जेल, राँची, दिनांक–...12...अगस्त, 2016

प्रतिलिपि– निदेशक (प्रशासन), कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित। एक प्रति स्थायी आदेश संचिका में यथा स्थान संधारित कर अनुपालन से अवगत करायेंगे।

12/08/16

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–1 / कोर्ट –09 / 2013......2512....../जेल, राँची, दिनांक–...12...अगस्त, 2016

प्रतिलिपि– सहायक कारा महानिरीक्षक–I एवं II एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ।

12/08/16

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।